

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 25 जनवरी 2018

विषय:- बहराइच वन प्रभाग के अन्तर्गत एन0एच0-730 के किमी0 248.400 से किमी0 280.000 तक (बहराइच-श्रावस्ती सेक्शन) मार्ग चौड़ीकरण परियोजना हेतु 20.072 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर-वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2320 वृक्षों के पातन तथा श्रावस्ती वन प्रभाग के अन्तर्गत एन0एच0-730 (बहराइच-बलरामपुर मार्ग) के किमी0 280 से 310 के मध्य मार्ग चौड़ीकरण हेतु प्रभावित 14.991 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2322 वृक्षों के पातन, अर्थात् कुल 35.063 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 4642 वृक्षों के पातन की अनुमति।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया उ0प्र0शासन को सम्बोधित तथा आपको एवं अन्य को पृष्ठांकित मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र संख्या-1309/11सी/एफपीयूपी/रोड/18934/2016 दिनांक 08-11-2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से वनाधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत जिलाधिकारी श्रावस्ती व बहराइच के प्रमाण पत्र विषयगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही हेतु आपके कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण के सम्बंध में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सुसंगत सूचना प्रेषित किये जाने के उपरांत यह प्रस्ताव उ0प्र0 शासन के स्तर पर ऑन लाइन लम्बित प्रदर्शित है। अतः प्रकरण के सम्बंध में पुनः उक्त सूचनायें सुलभ संदर्भ हेतु प्रेषित की जा रही है।

कृपया तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथापरि।


भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव

संख्या-189 (1)/14-2-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ
- 2- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव।

20-189/14-2-18

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक- 1309 /11-सी-FP/UP/Road/18934/2016, लखनऊ, दिनांक: नवम्बर 08, 2017

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उ०प्र० शासन,
वन एवं वन्य जीव, अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय:- बहराइच वन प्रभाग के अर्न्तगत एन०एच०-730 के किमी० 248.400 से किमी० 280.000 तक (बहराइच-श्रावस्ती सेक्शन) मार्ग चौड़ीकरण परियोजना हेतु 20.072 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 2320 वृक्षों के पातन तथा श्रावस्ती वन प्रभाग के अर्न्तगत एन०एच०-730 (बहराइच-बलरामपुर मार्ग) के किमी० 280 से 310 के मध्य मार्ग चौड़ीकरण हेतु प्रभावित 14.991 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 2322 वृक्षों के पातन, अर्थात् कुल 35.063 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक कुल 4642 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू०पी०/०६/६१/२०१७/एफ०सी०/५१७, दिनांक-
13.10.2017 एवं उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक-भा०स० 253/14-2-2017-800(94)/2016,
दिनांक-18.10.2017

महोदया,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयोंकित प्रकरण में वांछित, वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत जनपद बहराइच व श्रावस्ती का संशोधित जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र वन संरक्षक, देवीपाटन वृत्त, गोण्डा ने अपने पत्रांक-1869/11-सी, दिनांक-07.11.2017 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया है। अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित मूल में जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया विषयोंकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय
(डा० प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 1309 /11-सी-FP/UP/Road/18934/2016, दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मध्य क्षेत्र, अलीगंज, लखनऊ को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में जिलाधिकारी का मूल प्रमाण पत्र संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. वन संरक्षक, देवीपाटन वृत्त, गोण्डा।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, श्रावस्ती एवं बहराइच।
4. अधिशाषी अभियन्ता, रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०, लखनऊ।

email से प्राप्त किया गया

श्री गुप्ता
24.1.18

0/

(डा० प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।